कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 1027 /वाद सं0– आर–0291/एस–05/2026 दिनांक: 10/06/ 2026

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री विभोर कुमार, भागीरथी एन्क्लेव, चकतुनवाला, मिंयावाला,देहरादून द्वारा स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 25 गुणा 50 फीट क्षेत्रफल में भूतल पर आवासीय भवन का निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम–2009, की धारा के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं0 आर–0291/एस–05/2026 योजित किया गया था। उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 15/06/2026 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः–1. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र0) देहरादून के पत्र सं0 1205/विविध–जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

2. थानाध्यक्ष, रायपुर, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताअ/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

4.– नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि को सीलिंग से संबन्धित समस्त सामग्री संबन्धित सहा0 अभि0/अव0अभि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. विपक्षी श्री विभोर कुमार, भागीरथी एन्क्लेव, चकतुनवाला, मिंयावाला, देहरादून को इस आशय के साथ कि उपरोक्त तिथि को आप स्वयं स्थल पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना सम्मस्त सामान हटा लें। शेष नियम व शर्ते पूर्व प्रेषित आदेश पत्रांक 587 दिनांक 13.05.2026 की शर्त यथावत रहेगी।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।